INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत बीस रुपये INDIA TWENTY RUPEES भारत पाँच रुपये FIVE

मानननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /16 निगरानी

निग – 2124-PBR-16

1– रणछोड पिता श्री जगन्नाथ
2– राजाराम पिता श्री जगन्नाथ
3– मायाराम पिता श्री जगन्नाथ
निवासीगण – ग्राम तहसील घट्टिया

............................प्रार्थीगण

श्री धर्मेन्द्र रैत आला आई० द्वारा उज्जैन केम्प पर प्रस्तुत

23-6-16

विरूद्ध

1– मोडीराम पिता अम्बाराम
2– कैलाश पिता बापू
3– नंदकिशोर बापू
4– रणछोड पिता कुंवर जी
5– अम्बाराम पिता कुंवर जी
6– बाबूलाल पिता कुंवर जी
7– रमेश पिता कुंवर जी
8– बद्रीलाल पिता मांगीलाल
9– सत्यनारायण पिता मांगीलाल
निवासीगण – ग्राम तहसील घट्टिया जिला उज्जैन

..................प्रतिप्रार्थीगण

विषय – न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय टप्पा पानबिहार तहसील घटिया जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–13/2015–16 में दिनांक 29–03–2016 को पारित आदेश के विरूद्ध धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अर्न्तगत निगरानी ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (रणछोड / मोडीराम)

जिला उज्जैन

प्रकरण कमांक R2124 –पीबीआर / 16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–6–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर तहसीलदार टप्पा पानबिहार तहसील घटिया जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–3–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर रास्ता होना और उसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । ऐसी स्थिति में अपर तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने के आदेश देने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	